विनियामक सैंडबॉक्स के लिए सक्षम रूपरेखा
आवेदन प्रपत्र

आवेदन चेकलिस्ट

विनियामक सैंडबॉक्स के लिए आवेदन में निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए:

1. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
2. संस्था के निगमन और पंजीकरण दस्तावेजों की प्रतिलिपि
3. प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा घोषणा और वचनबद्धता तथा अनुबंध I और अनुबंध II में निर्धारित अपेक्षित दस्तावेज
4. अनुलग्नक III में निर्धारित मॉडल परीक्षण डिजाइन
5. नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट, यदि उपलब्ध हो
6. सांविधिक लेखा परीक्षक से निवल संपत्ति का प्रमाण पत्र

भरा हुआ आवेदन पत्र संलग्नकों सहित (अधिकतम आकार 10 एमबी) fintech@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है।

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए, आप फिनटेक विभाग से संपर्क कर सकते हैं

022-22601000 एक्सटेंशन: 2630/ 2216/ 2387

I. सामान्य

1.	आवेदक का नाम (इकाई का नाम)	
3.	उस कोहोर्ट का विषय बताएं जिसके अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं	
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या या कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन)	
5.	सभी प्रमोटरों/निदेशकों के पूर्ण नाम उनके निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के साथ	
6.	प्रमुख प्रबंधकीय संसाधन	
7.	पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता और फोन नंबर	
8.	ईमेल और वेबसाइट यूआरएल (यदि उपलब्ध हो)	
9.	i. नोडल/वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का नाम ii. कंपनी/फर्म में पदनाम iii. टेलीफोन नंबर iv. मोबाइल नंबर v. ईमेल पता	
10.	i. क्या आपका व्यवसाय या कोई संबद्ध व्यवसाय वर्तमान में भारत में पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।	
	ii. क्या आपका व्यवसाय या कोई संबद्ध व्यवसाय वर्तमान में भारत के बाहर पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।	
11.	i. क्या आपका व्यवसाय या कोई संबद्ध व्यवसाय वर्तमान में भारत में किसी विनियामक द्वारा पर्यवेक्षित है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।	
	ii. क्या आपका व्यवसाय या कोई संबद्ध व्यवसाय वर्तमान में भारत के बाहर किसी विनियामक द्वारा पर्यवेक्षित है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।	

12.	कृपया भारत में अपने परिचालन की प्रकृति और पैमाने का वर्णन प्रदान करें तथा अपने मुख्य व्यवसाय के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। (200 शब्दों में)	
13.	कृपया आरएस के अंतर्गत लाइव परीक्षण से जुड़ने वाले बैंक/एनबीएफसी/अन्य भागीदारों का विवरण प्रदान करें। i. इकाई(यों) का नाम ii. सैंडबॉक्स प्रक्रिया के लिए नामित प्रमुख व्यक्ति का संपर्क विवरण iii. उनकी भूमिका का विवरण iv. सैंडबॉक्स प्रक्रिया में उनकी देनदारियों सहित फर्मों के साथ संविदात्मक समझौतों का विवरण।	
14.	i. नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार आपकी संस्था की निवल संपत्ति कितनी है?	
	ii. लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न है (हां/नहीं)	
	iii. निधियों का स्रोत भी दर्शाया जाए। (विवरण)	
15.	क्या आपकी संस्था किसी बैंक/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थान की उधारकर्ता है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	
16.	क्या आपकी संस्था को किसी बैंक/एनबीएफसी या वित्तीय संस्थान द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें	

II. प्रस्ताव का विवरण

कृपया लिखित उत्तर प्रतिक्रियाओं को प्रति प्रश्न 200 शब्दों तक सीमित रखें। अतिरिक्त जानकारी सहायक दस्तावेज़ों के रूप में प्रदान की जा सकती है।

1.	कृपया अपने अभिनव उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें जिसे आप आरएस में परीक्षण करना चाहते हैं। आपके उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी के कार्य करने की प्रक्रिया प्रवाह के योजनाबद्ध चित्रण के साथ-साथ संपूर्ण उत्पाद विवरण इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है।	

2.	आपका उत्पाद/सेवाएं/प्रौद्योगिकी आरएस की अनुप्रयुक्त थीम के अंतर्गत किस प्रकार आती है?	
3.	कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपका प्रस्तावित उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी i. आरबीआई के विनियामक दायरे में आता है और/या ii. आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।	
4.	i. आपके उत्पाद/सेवा की पेशकश के लिए कौन सी अंतर्निहित प्रौद्योगिकी/प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा?	
	ii. क्या यह पहले से मौजूद तकनीक होगी या कोई नई तकनीक/प्लेटफॉर्म होगा?	
	iii. कृपया वर्णन करें कि आप बाजार में मौजूदा उत्पादों/सेवाओं की तुलना में एक अलग तकनीक या उसी तकनीक को अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से कैसे लागू कर रहे हैं।	
5.	आरएस के अंतर्गत परीक्षण के लिए इस आवेदन से पहले उपयोग के मामलों के किसी भी प्रासंगिक अनुभव / परीक्षण सहित अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) का साक्ष्य प्रदान करें।	
6.	i. आपका उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस मौजूदा अंतर को दूर करने का प्रयास कर रही है?	
	ii. कृपया वर्णन करें कि आपका उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी किस प्रकार इस अंतर को संबोधित करेगी तथा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगी।	
7.	i. कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें कि क्या आपके उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी को किसी विनियामक बाधा का सामना करना पड़ रहा है जो इसके बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है।	
	ii. यदि आपके उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी के संबंध में विनियमन का अभाव है या इससे कोई अंतर-नियामक चिंता उत्पन्न होती है**,** तो कृपया उसका विवरण प्रदान करें।	
	iii. आपके उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी के परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विनियामक छूट, यदि कोई हो, की आवश्यकता है?	

8.	i. क्या आपका उत्पाद/सेवा/तकनीक वर्तमान में आरएस के अंतर्गत परीक्षण के लिए तैयार है?	
	ii. कृपया अपने उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी को अपने भागीदारों के साथ एकीकृत करने के लिए एक निश्चित समयसीमा प्रदान करें।	
9.	कृपया स्पष्ट करें कि सैंडबॉक्स में भागीदारी से आपके उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी को किस प्रकार लाभ होगा।	
10.	आर.एस. प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त आई.टी. अवसंरचना (प्रौद्योगिकी/एपीआई/एप्लीकेशन प्लेटफार्म/नेटवर्क एप्लीकेशन, आदि) और एंड-टू-एंड आरएस प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रबंधकीय संसाधन का विवरण प्रदान करें।	
11.	कृपया विभिन्न आईटी जोखिमों का विवरण प्रदान करें जिनसे आप प्रभावित हैं तथा यह बताएं कि ऐसे जोखिमों से निपटने हेतु आपकी क्या योजना है।	
12.	अपने आईटी सिस्टम में निम्नलिखित से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का वर्णन करें: i. अनधिकृत पहुंच ii. रिकॉर्ड और डेटा में परिवर्तन, विनाश, प्रकटीकरण या प्रसार।	
13.	प्रस्तावित उपायों का वर्णन करें: (i) ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करना (ii) उपभोक्ता के भुगतान डेटा के सुरक्षित भंडारण और उस तक पहुंच के लिए।	

III. परीक्षण डिजाइन :

1.	सैंडबॉक्स प्रयोग के परीक्षण परिदृश्यों का विस्तृत वर्णन करें, साथ ही अपेक्षित समय-सीमा और प्रमुख मील के पत्थर भी बताएं। (अनुबंध III में एक मॉडल परीक्षण डिज़ाइन दिया गया है)	
2.	कृपया सैंडबॉक्स में प्रस्तावित सीमाओं को औचित्य के साथ इंगित करें जैसे: i. परीक्षण आयोजित करने के लिए आवश्यक अवधि ii. लक्षित ग्राहक प्रकार iii. शामिल ग्राहकों की संख्या की सीमा लेन-देन की अधिकतम सीमा iv. नकद धारण सीमा v. ग्राहक घाटे की सीमा (कृपया किसी अन्य सीमा शर्तों को इंगित करें जिन्हें आप	

	उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्तावित करना चाहते हैं)	
3.	i. परीक्षण प्रक्रिया के अपेक्षित परिणामों को इंगित करें।	
	ii. प्रश्न संख्या 2 में दर्शाए गए अनुसार मुख्य निष्पादन संकेतकों के लिए सफलता के मापदंडों को इंगित करें।	
4.	कृपया वर्णन करें कि आप आरएस से बाहर निकलने के बाद विनियामक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना चाहते हैं ?	
5.	i. अपने उत्पाद/सेवा से जुड़े प्रमुख जोखिमों (उपभोक्ताओं और आपके व्यवसाय दोनों के लिए) और प्रासंगिक जोखिम मूल्यांकन उपायों और जोखिम शमन योजना का वर्णन करें।	
	ii. कृपया दर्शाई गई सीमांत स्थितियों के अंतर्गत परीक्षण के दौरान आप पर आने वाली देयता की मात्रा बताएं।	
	iii. कृपया वर्णन करें कि आप देनदारियों को कैसे पूरा करना चाहते हैं। बीमा (पेशेवर क्षतिपूर्ति/साइबर सुरक्षा त्रुटियाँ/प्रौद्योगिकी त्रुटियाँ) का विवरण प्रदान करें जो आप इसके लिए प्राप्त करेंगे।	
6.	आप परीक्षण के लिए ग्राहकों को कैसे प्राप्त/स्रोत करना चाहते हैं?	
7.	परीक्षण ग्राहकों से सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए तंत्र को इंगित करें (संभावित जोखिमों और उपलब्ध मुआवजे के बारे में)।	
8.	कृपया उल्लेख करें कि आप ग्राहकों के प्रश्नों, फीडबैक या शिकायतों का निपटान कैसे करेंगे। (टेलीफोन, मेल, चैट की व्यवस्था और उपयोग किए जाने वाले किसी सॉफ्टवेयर या पोर्टल का विवरण भी प्रदान करें)	
9.	ग्राहकों को किसी भी स्तर पर परीक्षण से हटने की अनुमति देने के लिए लागू की गई व्यवस्था का वर्णन करें।	
10.	परीक्षण चरण के दौरान व्यवसाय निरंतरता योजना का विवरण प्रदान करें, यदि कोई हो।	
11.	अपनी परिवर्तन/निकास रणनीति का वर्णन करें: i. परीक्षण सफल होने की स्थिति में नवोन्मेष को व्यापक बाजार तक बढ़ाने की रणनीति।	
	i. यदि आरबीआई के निर्देशानुसार या संस्था के स्वयं के अनुरोध पर परीक्षण बंद करना पड़े। उस स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक के हितों की रक्षा की जा रही है, क्या कार्य योजना अस्तित्व में होगी।	

IV. प्रस्तुतीकरण

i. आवेदन पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज fintech@rbi.org.in पर ईमेल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
ii. कृपया ध्यान दें कि आवेदन में दी गई जानकारी अपूर्ण और अस्पष्ट होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
iii. जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त जानकारी और/या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

V. आवेदक द्वारा घोषणा

i. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी, विनियामक सैंडबॉक्स के लिए सक्षम रूपरेखा के पैरा 6.3 में उल्लिखित नकारात्मक सूची के अंतर्गत नहीं आती है।

ii. आवेदन पत्र, अनुलग्नक I और II, तथा अन्य दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं सैंडबॉक्स में प्रवेश के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी परिवर्तन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को पूरी तरह से सूचित रखने का वचन देता हूँ।

iii. मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि यद्यपि सभी आवेदन सामग्री गोपनीय रहेगी, 'आरबीआई अपने वेबसाइट पर आरएस आवेदकों के बारे में कोई भी प्रासंगिक जानकारी प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा, जिसमें ज्ञान हस्तांतरण और अन्य अंतरराष्ट्रीय विनियामक एजेंसियों के साथ सहयोग के उद्देश्य शामिल हैं, बिना किसी स्वामित्व/बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जानकारी का खुलासा किए।'

iv. मैं स्वीकार करता हूँ कि विनियामक सैंडबॉक्स से संबंधित सभी पहलुओं पर आरबीआई का निर्णय अंतिम है और मैं इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

v. मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त नवोन्मेष मूल है और दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम
तिथि
स्थान
कंपनी की मुहर

अनुलग्नक- I

सैंडबॉक्स संस्थाओं के निदेशक(निदेशकों)/ प्रमोटर(प्रमोटेरों)/ भागीदार(भागीदारों) के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) स्वयं को संतुष्ट करेगा कि विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) में स्वीकार किए जाने वाले सैंडबॉक्स इकाई के प्रमोटर/निदेशक/भागीदार प्रत्येक प्रमोटर/निदेशक के लिए प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूरा करते हैं:

क. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्थायी खाता संख्या

ख. निदेशक पहचान संख्या

ग. ऋण खातों सहित बैंक खाता विवरण

घ. विनियामकों से प्राप्त संदर्भ रिपोर्ट जिसके तहत इकाई पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त है

ड़. इकाई के प्रत्येक प्रमोटर/निदेशक/भागीदार के लिए पैरा संख्या 2 के तहत सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज/रिपोर्ट

2. प्रमोटर/निदेशक/भागीदारों की उचित जांच के उद्देश्य से, उपर्युक्त के अतिरिक्त, इकाई को निदेशक/प्रमोटर/भागीदारों से अनुबंध ॥ में दिए गए मानक प्रारूप में 'घोषणा और वचन' प्राप्त करना होगा। इसकी एक प्रति आरबीआई को भी प्रेषित की जाएगी।

अनुलग्नक- II

प्रमोटर/निदेशक/भागीदार द्वारा घोषणा और वचनबद्धता (उपयुक्त संलग्नकों के साथ)

I.	**प्रमोटर/निदेशक/भागीदार का व्यक्तिगत विवरण**		
	क.	पूरा नाम	
	ख.	जन्मतिथि	
	ग.	शैक्षिक योग्यता	
	घ.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव	
	ड़.	स्थायी पता	
	च.	वर्तमान पता	
	छ.	ईमेल पता/ टेलीफ़ोन नंबर	
	ज.	आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या	
	झ.	निदेशक पहचान संख्या	
II	**प्रमोटर/निदेशक/भागीदार के प्रासंगिक संबंध**		
	क.	संस्था/इकाई से जुड़े रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए का संज्ञान लें)।	
	ख.	संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उसे हितबद्ध माना जाता है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए) और धारा 300 का संज्ञान लें)।	

	ग.	निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों, जो वर्तमान में उसके द्वारा और/या ऊपर ॥(बी) में लिखित सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा बैंक से ली जा रही हैं।	
	घ.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां निदेशक या ऊपर ॥(बी) में लिखित सूचीबद्ध संस्थाएं बैंक या किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं या अतीत में चूककर्ता रही हैं।	
III	**व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड**		
	क.	व्यावसायिक उपलब्धियाँ प्रासंगिक	
IV.	**प्रमोटर/निदेशक/भागीदार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो**		
	क.	यदि निदेशक किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध पूर्व में लंबित या शुरू की गई या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्यौरा दें या क्या उसे किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।	
	ख.	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए निदेशक और/या ऊपर ॥(बी) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध पूर्व में लंबित या शुरू किए गए या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियोजन, यदि कोई हो का विवरण,	
	ग.	निदेशक के विरुद्ध अतीत में लंबित या प्रारंभ किए गए या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण।	
	घ.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत परिकल्पित किसी अयोग्यता को आकर्षित करता है?	
	ड़.	क्या निदेशक या उपर्युक्त ॥(बी) में से किसी इकाई पर किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के निर्देश पर कोई जांच की गई है?	

	च.	क्या निदेशक को कभी भी सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधाई आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	
	छ.	क्या निदेशक किसी भी समय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए जैसे किसी विनियामकों के प्रतिकूल संज्ञान में आया है।	
		<u>उपक्रम :</u>	
		मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के पश्चात होने वाली सभी घटनाएं, जो ऊपर दी गई जानकारी से प्रासंगिक हैं, के बारे में इस संस्था को यथाशीघ्र पूरी जानकारी देने का वचन देता हूँ।	
		स्थान :	प्रमोटर/निदेशक/भागीदार के हस्ताक्षर
		तिथि :	

अनुलग्नक III

मॉडल टेस्ट डिज़ाइन (आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

आवेदक का नाम:

क. उत्पाद: (उत्पाद का संक्षेप में वर्णन करें)

ख. उत्पाद की प्रक्रिया प्रवाह:

ग. लाइव परीक्षण के लिए बैंक/ एनबीएफ़सी/ अन्य भागीदारों का नाम :

ड़. परीक्षण परिदृश्य

क्रं. सं	**मापदंड (पैरामीटर)**	**विवरण**
1.	आरएस में परीक्षण हेतु प्रस्तावित उपयोग मामले	
2.	स्थान	
3.	लक्ष्य	
	(क) ग्राहक की संख्या	
	(ख) ग्राहक अपनाना और सक्रियण	
	(ग) व्यापारियों/ सेवा प्रदाताओं की संख्या	
	(घ) सक्रिय एजेंट की संख्या	
4.	मुख्य प्रदर्शन संकेतक	
	(क)प्रतिमाह लेनदेन की संख्या	
	(ख)सफल लेनदेन का प्रतिशत	
	(ग) असमाधानित लेनदेन का प्रतिशत	
	(घ) समाधान के लिए टर्न अराउंड टाइम	
	(ङ)शिकायतों का प्रतिशत (कुल लेनदेन में)	
	(च) शिकायतों के लिए टीएटी	
	(छ) छोड़ने वाले ग्राहकों का प्रतिशत	

	(ज) छोड़ने वाले व्यापारियों का प्रतिशत	
	(झ) छोड़ने वाले एजेंटों का प्रतिशत	
	(ञ) ग्राहकों से लक्ष्य रेटिंग	
5.	सीमा की स्थिति	
	(क) परीक्षण अवधि	
	(ख) परीक्षण की प्रारम्भ और समाप्ती की तिथि	
	(ग) लेनदेन की अधिकतम सीमा	
	(घ) ग्राहकों की हानि पर कैप	
6.	जोखिम और शमन	
	(क) डेटा और डेटा गोपनीयता/भंडारण की हानि/समझौता	
	(ख) सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी समस्या	
	(ग) कार्ड का खो जाना/चोरी हो जाना/दुरुपयोग होना	
7.	ग्राहकों की केवाईसी करने के लिए अपनाई गई पद्धति	
8.	ग्राहक/व्यापारी से स्पष्ट सहमति	
9.	ग्राहकों के लिए निकास तंत्र	
10.	इकाई के लिए निकास रणनीति	
11.	रिपोर्टिंग	
	(क) आवधिकता	
	(ख) प्रारूप	
	(ग) माध्यम	

(यह सिर्फ एक नमूना परीक्षण डिजाइन है और किसी भी अन्य केपीआई और उत्पाद / सेवा / प्रौद्योगिकी के लिए प्रासंगिक मापदंडों को भी परीक्षण डिजाइन में जोड़ा जा सकता है)